

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
State Election Commission, Bihar

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 15.04.2026

- नगरपालिका आम/उप निर्वाचन 2026 के मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन निर्धारित तिथि के अनुसार दिनांक 15.04.2026 को कर दिया गया है। प्रकाशित मतदाता सूची का प्रारूप से संबंधित दावा/आपत्ति प्राप्त करने की निर्धारित अवधि दिनांक 15.04.2026 से 28.4.2026 तक है। दावा/आपत्ति के निष्पादन के उपरांत मतदाता सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन दिनांक 13.05.2026 को किया जाना है। विदित हो कि निर्धारित अवधि के उपरांत प्राप्त दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
- प्रारूप मतदाता सूची संबंधित क्षेत्र के जिला कार्यालय, नगर निकाय के मुख्य कार्यालय, नगर निकाय के अंचल कार्यालय, वार्ड क्षेत्र अंतर्गत स्थित थाना अथवा थाना जिसके क्षेत्र अंतर्गत वार्ड या वार्ड का अंश स्थित है, वार्ड क्षेत्र अंतर्गत डाकघर, नगर निकाय बाजार, आम वाचनालय एवं आम पुस्तकालय तथा आयोग के वेबसाइट www.sec.bihar.gov.in पर देख सकते हैं।
- निर्धारित प्रपत्र जिसमें आवेदन देना है:
 - मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु प्रपत्र-2
 - किसी मतदाता से संबंधित विशिष्टियों के संशोधन हेतु प्रपत्र-2A
 - किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति हेतु प्रपत्र-3

सारे प्रपत्र निबंधन पदाधिकारी (अनुमंडल पदाधिकारी)/ रिवाइजिंग अथॉरिटी (प्राधिकृत पदाधिकारी) तथा आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

- ऑनलाइन आवेदन- मतदाता/नागरिक आयोग के वेबसाइट www.sec.bihar.gov.in पर जाकर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद स्वतः यूनिक नंबर प्राप्त होंगे, इसी यूनिक नंबर के माध्यम से अद्यतन स्थिति जांचा जा सकता है।
- ऑफलाइन आवेदन- मतदाता अपने आवेदन निर्धारित प्रपत्र में सीधे निबंधन पदाधिकारी (अनुमंडल पदाधिकारी)/ रिवाइजिंग अथॉरिटी (प्राधिकृत पदाधिकारी) को दे सकते हैं। आवेदन करने के बाद पावती रसीद अवश्य प्राप्त करें।
- इसी बीच मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के उपरांत नवसृजित नगरपालिकाओं यथा नगर परिषद- फुलवारीशरीफ, दानापुर निजामत, खगौल एवं सोनपुर तथा नगर पंचायत मदनपुर, जम्हौर, महाराजगंज



एवं मधुबन हेतु मतदान केंद्र गठन संबंधित जिलों को निर्देश दिए गए हैं। जिसके कार्यक्रम निम्नवत हैं।

क्रम	कार्यक्रम/प्रक्रम	महत्वपूर्ण तिथियां
1.	मतदान केन्द्रों के स्थान का चिह्नीकरण एवं मतदान केन्द्रों के साथ मतदाताओं की संख्या की सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि-	16.04.2026 से 22.04.2026 तक
2.	मतदान केन्द्रों की सूची (प्रपत्र-A) का प्रारूप का प्रकाशन	24.04.2026
3.	मतदान केन्द्रों की सूची (प्रपत्र -A) का प्रारूप का प्रकाशन की अवधि एवं दावा आपत्ति की प्राप्ति	24.04.2026 से 07.05.2026 तक
4.	प्रकाशन अवधि में प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन एवं तदनुसार प्रारूप सूची में संशोधन	28.04.2026 से 13.05.2026 तक
5.	प्रपत्र-A (मतदान केन्द्र की अंतिम सूची) पर आयोग का अनुमोदन	15.05.2026 से 21.05.2026 तक
6.	मतदान केन्द्र के अनुमोदित सूची का अन्तिम प्रकाशन	25.05.2026 तक
7.	मतदान केन्द्रवार मतदाता सूची का मुद्रण	29.05.2026 तक

नगरपालिकाओं के रिक्त पदों पर उप निर्वाचन हेतु पूर्व से आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केन्द्रों पर ही मतदान कराये जाएंगे।

मतदान केन्द्र की स्थापना निम्न शर्तों के अंतर्गत की जायेगी:

- वार्डवार मतदान केन्द्रों की संख्या में कुल निर्वाचन की संख्या पर आधारित होगी।
- प्रत्येक मतदान केन्द्र में अधिकतम 1000 मतदाता संबध किये जायेंगे।
- एक विशेष स्थान/पता पर निवास करने वाले सभी मतदाताओं को एक ही मतदान केन्द्र के साथ संबध किया जायेगा।
- विधान सभा व लोकसभा निर्वाचन हेतु बनाये गये मतदान केन्द्र को ही यथासंभव उसी वार्ड के लिए मतदान केन्द्र के रूप में स्थापित किया जायेगा।
- मतदान केन्द्र की स्थापना यथासंभव सरकारी/अर्द्ध सरकारी भवनों में की जाएगी। विशेष परिस्थिति में यदि उक्त वार्ड में सरकारी/अर्द्ध सरकारी भवन नहीं हैं तो अत्यंत आवश्यक होने पर ही निजी भवनों से मतदान केन्द्र की स्थापना भी जायेगी।
- मतदान केन्द्र की स्थापना ऐसे स्थान पर की जायेगी जो स्थायी हो।

- मतदान केन्द्र की स्थापना इस प्रकार से की जायेगी कि किराी भी मतदाता की मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केन्द्र पर जाने हेतु सामान्यतः 1 किमी की दूरी एवं अधिकतम 2 किमी की दूरी तय करनी पड़े।
- विशेष के लिए स्थापित मतदान केन्द्र वार्ड की सीमा के अंदर ही होगा।
- एक भवन में अधिकतम 4 मतदान केन्द्रों की स्थापना की जा सकती है।
- नितांत आवश्यक होने पर उपयुक्त सरकारी/अर्द्ध सरकारी/ निजी अवन के अभाव में मतदान केन्द्र की स्थापना अस्थायी ढांचा में चलंत मतदान केन्द्र के रूप में की जा सकती है।
- कोई भी मतदान केन्द्र पुलिस थाना अस्पताल डिस्पेंसरी, मंदिरों या अन्य धार्मिक स्थलों अथवा विवादित परिसरों में स्थापित नहीं किया जावेगा।
- मतदान केन्द्र पर आवश्यक मुलभूत सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय, रेम्प, बीड, फर्निचर, विद्युत आपूर्ति एवं सुगम पथ उपलब्ध होनी चाहिए ताकि मतदान कर्मियों एवं मतदाताओं विशेषकर महिला एवं दिव्यांग मतदाता को कोई परेशानी न हो।
- कमजोर वर्ग सफाई कर्मियों के मोहल्ला अथवा मलिन बस्तियों में ऐसे वर्ग के व्यक्तियों की सुविधा हेतु एक अतिरिक्त मतदान केन्द्र की स्थापना की जा सकती है, चाहे वहाँ पर उनकी आबादी 250 अथवा उसे आस पास ही क्यों न हो।
- कमजोर वर्ग के मतदाताओं के लिए आवश्यकतानुसार उनके निवास स्थान के पास मतदान केन्द्र की स्थापना की जाएगी।
- कुछ रोग से आसक्त विशेष श्रेणी के मतदाताओं के लिए उक्त आरोग्यशाला में ही मतदान केन्द्र की स्थापना की जा सकती है। आरोग्यशाला के चिकित्सक तथा अन्य कर्मचारियों को पीठासीन पदाधिकारी तथा मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
- एक मतदान केन्द्र के लिए सामान्यतः 10 वर्गमीटर क्षेत्रफल का स्थान होना चाहिए।

मतदाता/नागरिक हेतु सुविधा

- मतदाता के लिए ऑनलाईन सुविधा :- कोई भी मतदाता/ नागरिक राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के वेबसाईट www.sec.bihar.gov.in पर जाकर निर्वाचन/मतदाता सूची/मतदान केन्द्र से संबन्धित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं ऑनलाइन दावा/आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं।
- इसके अलावा कोई भी व्यक्ति मतदाता / अभ्यर्थी आयोग में संचालित कॉल सेंटर कोषांग के टोल फ्री नं. 1800-3457-243 पर कॉल करके निर्वाचन संबंधी सूचना, सुझाव या शिकायत दर्ज कर सकते हैं।


 संयुक्त निर्वाचन आयोग
 राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2026 से संबन्धित पदवार रिक्त पदों की विवरणी

क्र० सं०	जिला	नगरपालिका का नाम	वार्ड संख्या	रिक्त पद
1	पटना	नगर परिषद फुलवारीशरीफ	पूर्ण क्षेत्र	मुख्य पार्षद, उपमुख्य पार्षद, वार्ड पार्षद
2		नगर परिषद दानापुर निजामत	पूर्ण क्षेत्र	मुख्य पार्षद, उपमुख्य पार्षद, वार्ड पार्षद
3		नगर परिषद खगौल	पूर्ण क्षेत्र	मुख्य पार्षद, उपमुख्य पार्षद, वार्ड पार्षद
4		नगर परिषद सम्पतचक	13	वार्ड पार्षद
5		नगर परिषद बाढ़	5	वार्ड पार्षद
6		नगर परिषद मसौंठी	31	वार्ड पार्षद
7		नगर पंचायत नौबतपुर	पूर्ण क्षेत्र	मुख्य पार्षद
8		नगर पंचायत बिक्रम	14	वार्ड पार्षद
9	बक्सर	नगर परिषद डुमराँव	पूर्ण क्षेत्र	मुख्य पार्षद
10	भोजपुर (आरा)	नगर पंचायत गड़हनी	12	वार्ड पार्षद
11		नगर निगम आरा	31	वार्ड पार्षद
12	रोहतास (सासाराम)	नगर परिषद डिहरी, डालमियाँ नगर	19,20	वार्ड पार्षद
13		नगर परिषद नोखा	8	वार्ड पार्षद
14		नगर निगम सासाराम	5	वार्ड पार्षद
15	नालंदा	नगर निगम बिहारशरीफ	38	वार्ड पार्षद
16		नगर पंचायत परवलपुर	4	वार्ड पार्षद
17		नगर पंचायत पावापुरी	3	वार्ड पार्षद
18	गयाजी	नगर पंचायत ईमामगंज	7	वार्ड पार्षद
19	औरंगाबाद	नगर पंचायत मदनपुर	पूर्ण क्षेत्र	मुख्य पार्षद, उपमुख्य पार्षद, वार्ड पार्षद
20		नगर पंचायत जम्होर	पूर्ण क्षेत्र	मुख्य पार्षद, उपमुख्य पार्षद, वार्ड पार्षद
21		नगर पंचायत नबीनगर	12	वार्ड पार्षद
22	जहानाबाद	नगर परिषद जहानाबाद	21	वार्ड पार्षद
23		नगर पंचायत काको	पूर्ण क्षेत्र	उपमुख्य पार्षद
24		नगर पंचायत घोषी	18	वार्ड पार्षद
25	सारण	नगर परिषद सोनपुर	पूर्ण क्षेत्र	मुख्य पार्षद, उपमुख्य पार्षद, वार्ड पार्षद
26		नगर पंचायत परसा बाजार	6,7	वार्ड पार्षद
27		नगर पंचायत दिघवारा	3	वार्ड पार्षद
28	सिवान	नगर पंचायत महाराजगंज	पूर्ण क्षेत्र	मुख्य पार्षद, उपमुख्य पार्षद, वार्ड पार्षद
29	मुजफ्फरपुर	नगर परिषद मोतीपुर	1	वार्ड पार्षद
30		नगर निगम मुजफ्फरपुर	20	वार्ड पार्षद
31	वैशाली	नगर पंचायत गोरौल	2	वार्ड पार्षद
32	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	नगर पंचायत मधुबन	पूर्ण क्षेत्र	मुख्य पार्षद, उपमुख्य पार्षद, वार्ड पार्षद
33		नगर पंचायत मेहसी	2	वार्ड पार्षद
34		नगर परिषद रक्सौल	पूर्ण क्षेत्र	मुख्य पार्षद
35	पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	नगर परिषद बगहा	10,29	वार्ड पार्षद
36		नगर पंचायत मच्छरगावाँ	5	वार्ड पार्षद
37	सीतामढी	नगर पंचायत सुरसंड	10	वार्ड पार्षद
38	दरभंगा	नगर पंचायत बिरौल	पूर्ण क्षेत्र	उपमुख्य पार्षद
39		नगर परिषद बेनीपुर	22	वार्ड पार्षद
40	सहरसा	नगर निगम सहरसा	5	वार्ड पार्षद
41	मधेपुरा	नगर पंचायत मुरलीगंज	5	वार्ड पार्षद
42		नगर परिषद मधेपुरा	14	वार्ड पार्षद
43	पूर्णियाँ	नगर पंचायत चंपानगर	3	वार्ड पार्षद
44		नगर परिषद बनगनखी	13	वार्ड पार्षद
45	किशनगंज	नगर पंचायत पौआखाली	1	वार्ड पार्षद
46	लखीसराय	नगर परिषद लखीसराय	25	वार्ड पार्षद

(Handwritten signature)

47	वेगूसराय	नगर परिषद बखरी	21	वार्ड पार्षद
48		नगर परिषद बीहट	13	वार्ड पार्षद
49	खगडिया	नगर पंचायत अलीली	पूर्ण क्षेत्र	उपमुख्य पार्षद
50		नगर परिषद खगडिया	19	वार्ड पार्षद
51	भागलपुर	नगर निगम भागलपुर	40	वार्ड पार्षद
52		नगर परिषद सुल्तानगंज	9	वार्ड पार्षद

8